22/5/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. श्री अम्बराज कार्यकारी उपस्थित होने से पत्रावली दि० 12/07/24 को पेश हो।

12/7/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को विधिवत रूप से एक-एक कर आवाजें लगवाई गई उपरान्त भी अनुपस्थित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही अग्रिम पैरवी में स्वतः खारिज किया जाता है।

प्रार्थी के वकील कुमार शेखर नामक से एक नोटिस इफ्तार डायरी हो।